

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

इजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)
शेरसिंह पुत्र लिक्खी मीना निवासी मेरेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. बीरबल पुत्र गैन्दया।
2. रामनिवास पुत्र विशन्या।
3. लिक्खी पुत्र विशन्या
4. भूरसिंह पुत्र रंगलाल
5. बनवारी पुत्र रंगलाल
6. भौती देवी पत्नि रंगलाल
7. रामसिंह पुत्र नानगा

8. समस्त जाति मीना निवासीयान मेरेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
- तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा

मु0न0. 17 सन 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट व हाजरी श्री मिनकानिब गुदई रुबरु.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः दावा डिक्री किया जाता है। वादी शेरसिंह पुत्र लिक्खी जाति मीना निवासी मेरेडा को ग्रम मेरेडा की भूमि ख0न0 639/0.07 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी बीरबल पुत्र गेदया हिस्सा 9/16, राहिन भूमि विकास बैंक शाखा टोडाभीम, रामनिवास पुत्र विशन्या जाति मीना हिस्सा 7/48 राहिन बैंक ऑफ बडौदा, रंगलाल, रामसिंह पि0 नानग्या हिस्सा 7/24 को ख0न0 639/1/0.08, 1045/0.04, 1046/0.11, 1047/0.25 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.48 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसुल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 02.07.2019 को जारी की गई।



[Signature]
उपजिला कलक्टर
दस्तखत
टोडाभीम (करौली)
ओहदा.....

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुकमनामा		
ववत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

17/2019

तारीख रजु- 07.02.2019

पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उपवान

शेरसिंह पुत्र लिक्खी मीना निवासी मेरेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. बीरबल पुत्र गैन्द्या।
 2. रामनिवास पुत्र विशन्धा।
 3. लिक्खी पुत्र विशन्धा
 4. भूरसिंह पुत्र रंगलाल
 5. बनवारी पुत्र रंगलाल
 3. भौती देवी पत्नि रंगलाल
 7. रामसिंह पुत्र नानगा
- समस्त जाति मीना निवासीयान मेरेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
8. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकारमा
उपरिथति:- श्री रामभरोसी गुप्ता (वादी)

निर्णय

दिनांक:- 02.07.2019

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम मेरेडा स्थित आराजीयात ख0न0 639/0.15 , 1045/0.04, 1046/0.11, 1047/0.25, कुल किता 4 रकवा 0.55 है0 मे वादी हिस्सा 1/8 का खातेदार काशतकार है। शेष हिस्से के प्रतिवादीगण सहखातेदार है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य सहमति से मौके पर बटवारा हो रहा है। वादी भूमि ख0न0 639 रकवा 0.07 है0 पर काबिज है। पक्की बाउन्डी वाल हो रही है। भूमि का सम्परिवर्तन कराने मे बाधा हो रही है। प्रतिवादीगण बटवारा कराने से इन्कार करने पर दावा पेश करना लाजमी हुआ है। अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी न0 1 ता 7 वावत तकारमा ग्राम मेरेडा स्थित आराजीयात ख0न0 639/0.15 , 1045/0.04, 1046/0.11, 1047/0.25, कुल किता 4 रकवा 0.55 है0 मे वादी हिस्सा 1/8 मे प्राथमिक डिकी किया जाकर मुताबिक खातेदारी व कब्जा अलग खाता कायम किया जावे। तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब कर वादी के हक मे फाईनल डिकी प्रदान की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन तलब किये गये। वावजूद सूचना के उपरिथत नही होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी ने वादपत्र के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किये। वादीवकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि यह दावा तकारमा का है। मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा व कब्जा दावा प्राथकिम डिकी कर बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे।

वादीवकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 से 75 वादी उक्त आराजीयात मे हिस्सा 1/8 का खातेदार काशतकार है। प्रकरण तकारमा का है अनावश्यक लम्बा नही चले इस कारण दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीशनर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का अवलोकन कर वादी वकील ने मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिकी किए जाने का कथन किया। मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिकी किए जाने के योग्य होने से वादी शेरसिंह पुत्र लिक्खी जाति मीना निवासी मेरेडा को ग्राम मेरेडा की भूमि ख0न0 639/0.07 है0 का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी बीरबल पुत्र गेदया हिस्सा 9/16, राहिन भूमि विकास बैंक शाखा टोडाभीम, रामनिवास पुत्र विशन्धा जाति मीना हिस्सा 7/48 राहिन बैंक ऑफ बडौदा, रंगलाल, रामसिंह पि0 नानग्या हिस्सा 7/24 को ख0न0 639/1/0.08, 1045/0.04, 1046/0.11, 1047/0.25 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.48 का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। पर्वा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सूचाया गया।



(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

खण्ड 17/2019

तारीख रजु:- 07.02.2019

पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

शेरसिंह पुत्र लिक्खी मीना निवासी मेरेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. बीरबल पुत्र गैन्द्या।
 2. रामनिवास पुत्र क्लिन्या।
 3. लिक्खी पुत्र क्लिन्या
 4. भूरसिंह पुत्र रंगलाल
 5. बनवारी पुत्र रंगलाल
 6. भौती देवी पत्नि रंगलाल
 7. रामसिंह पुत्र नानगा
 8. समस्त जाति मीना निवासीयान मेरेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
- तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा

उपस्थिति:- श्री रामभरोसी गुप्ता (वादी)

निर्णय


दिनांक:- 29.05.2019

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम मेरेडा स्थित आराजीयात खण्ड 639/0.15, 1045/0.04, 1046/0.11, 1047/0.25, कुल किता 4 रकवा 0.55 है 0 में वादी हिस्सा 1/8 का खातेदार कस्तकार है। शेष हिस्से के प्रतिवादीगण सहखातेदार है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य सहमति से मौके पर बटवारा हो रहा है। वादी भूमि खण्ड 639 रकवा 0.07 है 0 पर काबिज है। पक्की बाउन्ड्री वाल हो रही है। भूमि का सम्परिवर्तन कराने में बाधा हो रही है। प्रतिवादीगण बटवारा कराने से इन्कार करने पर दावा पेश करना लाजमी हुआ है। अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी नं 1 ता 7 वावत तकास्मा ग्राम मेरेडा स्थित आराजीयात खण्ड 639/0.15, 1045/0.04, 1046/0.11, 1047/0.25, कुल किता 4 रकवा 0.55 है 0 में वादी हिस्सा 1/8 में प्राथमिक डिक्री किया जाकर मुताबिक खातेदारी व कब्जा अलग खाता कायम किया जावे। तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब कर वादी के हक में फाईनल डिक्री प्रदान की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन तलब किये गये। वावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये। वादीवकील ने अपनी बहस में कथन किया कि यह दावा तकास्मा का है। मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा व कब्जा दावा प्राथमिक डिक्री कर बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे।

वादीवकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 से 75 वादी उक्त आराजीयात में हिस्सा 1/8 का खातेदार कस्तकार है। प्रकरण तकास्मा का है अनाक्यक लम्बा नहीं चले इस कारण दावा प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार टोडाभीम को 300/-रु 0 पर बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते हैं कि ग्राम मेरेडा स्थित आराजीयात खण्ड 639/0.15, 1045/0.04, 1046/0.11, 1047/0.25, कुल किता 4 रकवा 0.55 है 0 में वादी हिस्सा 1/8 में वादी का हिस्सा कब्जेअनुसार कायम करते हुए बटवारा स्कीम मय नक्का ट्रेस दो प्रतियो में मुताबिक अलग खाता कायम कर बटवारा स्कीम मय नक्का ट्रेस दो प्रतियो में भिजवाए। प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

इजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

शेरसिंह पुत्र लिक्खी मीना निवासी मेरेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. वीरबल पुत्र गैन्दया।
2. रामनिवास पुत्र विशन्या।
3. लिक्खी पुत्र विशन्या
4. भूरसिंह पुत्र रंगलाल
5. बनवारी पुत्र रंगलाल
6. भौती देवी पत्नि रंगलाल
7. रामसिंह पुत्र नानगा
समस्त जाति मीना निवासीयान मेरेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
8. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा

मु0न0. 17 सन 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट व हाजरी श्री मिनकानिब गुदई रुबरू.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है। कि

अतः दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार टोडाभीम को 300/-रु0 पर बटवारा कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम मेरेडा स्थित आराजीयात ख0न0 639/0.15 , 1045/0.04, 1046/0.11, 1047/0.25, कुल किता 4 रकवा 0.55 है0 मे वादी हिस्सा 1/8 मे वादी का हिस्सा कब्जेअनुसार कायम करते हुए बटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियो मे भिजवाए अलग हिस्सा कायम कर बटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियो मे भिजवाए।

निज मुबलिंग..... वावत..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद वशरूद फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... अदा करे। वशरूद मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.05.2019 को जारी की गई।



दस्तखत उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) ओहदा.....

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			वावत इजराय हुकमनामा		
ववत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					